संख्या-608/22-4-2010-22/99

प्रेषक,

सत्य प्रकाश पंखा,
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊःदिनांक- 31 मार्च, 2010

विषयः- वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रदेश की कारागारों के लिए वाहन क्रय किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-8074/नजारत-4/वा0पु0/09-10, दिनांक-22.03.2010 एवं शासनादेश संख्या-381/22-4-2010-22/99 दिनांक-28 फरवरी, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक-28.2.2010 द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-2010 में द्वितीय अनुपूरक मांग के माध्यम से लेखाशीर्षक 2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल-03-समस्त कारागार-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष प्रदेश की कारागारों के 11 निष्प्रयोज्य वाहनों, जिनका विवरण संलग्नक में दिया गया है, के प्रतिस्थापन तथा लखनऊ में निर्मित कारागारों के लिए एक बस (24 सीटर) तथा एक मारूति जिप्सी अर्थात कुल 13 वाहनों के क्रय किए जाने हेतु कुल रु0-49,20,392.00 की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। आपके उक्त पत्र दिनांक-22.3.2010 द्वारा वाहनों की दरें संशोधित हो जाने के कारण रु0-35,287.00 (रूपये पैंतीस हजार दो सौ सत्तासी मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की मांग की गयी है। आपके प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त वाहनों के प्रतिस्थापन/क्रय के लिए अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि रु0-35,287.00 (रूपये पैंतीस हजार दो सौ सत्तासी मात्र) की वित्तीय स्वीकृति महामहिम राज्यपाल प्रदान करते है।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009-10 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 25 के अर्न्तगत 2056-जेलें-आयोजनेत्तर-101-जेल- 03-समस्त कारागार-14-कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय के नामे डाला जायेगा एवं उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या ई-12-867(II) /दस-2010- दिनांक-31.03.2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पंखा)
अनु सचिव।

PTO

-2-

ार्यवाही हेतु प्रेषित-
त्तर प्रदेश, लखनऊ।

, लखनऊ/ वित्त (व्यय नियंत्र

संख्या-608(1)/22-4-2010-तद् दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/आडिट प्रथम,उ.प्र.,इलाहाबाद।
2- मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
4- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश पखा)
अनु सचिव।

4-
5-
6-